19-20

न्यायालय, अंचल अधिकारी सतगावां

विविध वाद सं0....01...../2019

आवेदिका–श्रीमती यमुना देवी,
पति– श्री बनबारी प्र0 यादव

आदेश–फलक

02/03/19

आवेदिका श्रीमती यमुना देवी, पति–श्री बनवारी प्रसाद यादव, ग्राम–सिहास, थाना–सतगावां, जिला–कोडरमा का आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदिका के आवेदन में कथनानुसार, मौजा–महथाखैरा, थाना सं0–32 अन्तर्गत, खाता सं0–63, प्लॉट सं0–529, रकवा–0.71 ए0 भूमि की पंजी–II एवं ऑनलाईन पर दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आवेदिका के उक्त आवेदन पर राजस्व उप निरीक्षक से जांच कराई गई जो जांच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विकय पत्र केवाला सं0 7498 दिनांक 23.06.1992 एवं दाखिल खारिज वाद सं0–11/2015–16 की छायाप्रति एवं शुद्वि–पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। पंजी–27 से मिलान करने के पश्चात् पाया गया कि उक्त भूमि का दाखिल खारीज स्वीकृत है और भूमि का लगान 0.57 पै0 अंकित है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आधार पर उक्त वर्णित भूमि को पंजी–II के पृष्ट सं0 23/3 से रकवा एवं लगान घटाकर आवेदिका श्रीमती अनीता देवी के नाम से खाता सं0–63, प्लॉट सं0–529, रकवा–0.71 ए0 भूमि, लगान–60 पै0 सलाना ऑनलाईन जमावंदी कायम करने की स्वीकृति दी जाती है।

इस संबंध में संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के लॉगीन में शुद्वि–पत्र से मिलान कर ऑनलाईन दर्ज कर नियमानुसार आवेदिका श्रीमती यमुना देवी के पक्ष में लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई हेतु राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक/कम्प्युटर ऑपरेटर को आदेश की प्रति उपलब्ध करा दें।

अतएव उक्त आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

02/03/19
अंचल अधिकारी,
सतगावां।

02/03/19
अंचल अधिकारी,
सतगावां।